

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

शुद्धिपत्र (Corrigendum)

क. 8268 /2022

दिनांक 06/07/2022


छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्रमांक 01/2021, दिनांक 03/07/2021 में दिये गये नोट क्रमांक 01 के आलोक में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों की संख्या में वृद्धि करते हुये, 75 पदों के स्थान पर 100 पदों पर भर्ती की जा रही है। उक्त वृद्धि के फलस्वरूप भर्ती किये जाने वाले पदों की संख्या वर्गवार निम्नानुसार होगी-

| वर्ग | कुल पद |
|------------------|--|
| अनारक्षित | 42 (02 पद दिव्यांग एवं 12 पद महिला सहित) |
| अनुसूचित जाति | 12 (01 पद दिव्यांग एवं 03 पद महिला सहित) |
| अनुसूचित जनजाति | 32 (02 पद दिव्यांग एवं 09 पद महिला सहित) |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 14 (01 पद दिव्यांग एवं 04 पद महिला सहित) |
| कुल योग | 100 |

साथ ही उक्त विज्ञापन के अन्य शर्तों के कंडिका क्रमांक 23 में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के चयन पद्धति को निम्नानुसार पढ़ा जावे-

"आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी- का चयन संबंधित पद के अनुसार कौशल परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा। विज्ञापित पद के विरुद्ध 04 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा।"

आदेशानुसार


(अरविंद कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

06-07-2022